

close

ब-अदालत अनुमंडल दण्डाधिकारी, महागामा।

क्रि०मि० केश नं०-205/2018

दिवाकर प्रसाद सिंह बनाम् निरंजन यादव वगै०

धारा-145 द०प्र०स०

-: आदेश :-

18.11.2025

अभिलेख उपस्थापित। RCMS Portal के अवलोकनोपरान्त पाया गया कि क्रि०मि० केश नं०-205/2018 दिवाकर प्रसाद सिंह बनाम् निरंजन यादव वगै० से संबंधित अभिलेख सामान्य न्यायालय से संबंधित है, परन्तु भूल वस RCMS Portal में Entry हो गया है।

अतः उक्त वाद से संबंधित अभिलेख सामान्य न्यायालय में अंतरित करते हुए RCMS Portal से हटाया जाता है।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
महागामा।


अनुमंडल दण्डाधिकारी
महागामा।